FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

App. A
Crim - I

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

शंकर लाल

किस्म मुकदमा S3, 188 RT Act बनाम होकमा नं. 47/18 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19-4-18	वकील प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा S3, 188 RT Act विरूद्ध विपक्षीगण पेश किया गया। प्रा० पत्र बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 3-5-18 को पेश हो।	
	03.05.2018 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम बरण में पैश हुई । वादीगण मय अधिवक्ता व प्रतिवादीगण नियत शिविर में उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। इन्ही पक्षकारान में से प्रतिवादी होकमा रेगर. की और से एक ही वाद विषय/आशय, आराजीयात का एक वादपत्र पृथक से वादीगण के विरूद्ध दिनांक 26.03.2018 से इस न्यायालय में प्रस्तुतशुदा होकर वर्तमान में जैर कार्यवाही है। इस प्रकार यह पश्चातवृती वादपत्र दफा 10 सी.पी.सी. में वर्णित प्रावधानो का उलन्घन कर प्रस्तुत किया गया है। इस पर वादीगण के अधिवक्ता से इसका स्पष्टीकरण लिये जाने पर उनके द्वारा इस पश्चातवृती वादपत्र को पूर्ववृती वादपत्र संख्या 36/2018 के साथ संलग्न किये जाने में अपनी और से सहमति व्यक्त की। अतः इस पश्चातवृती वादपत्र को इसी न्यायालय के समान अनवानी आशय के पूर्ववृती वाद संख्या 36/2018 के साथ संलग्न किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर ...	शंकर शान्तिलाल कजोड़ होकमा ...